


कार्यालय प्रयोगार्थ



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2018—19

हिमाचल प्रदेश सरकार
जन-जातीय विकास विभाग



विषय-सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	पृष्ठ भूमि एवं प्रस्तावना	1-3
2.	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम	4-11
3.	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	12-16
4.	सूचना का अधिकार नियम, 2005	17-34
अनुबन्ध		
1.	जनजातीय विकास विभाग संगठन चार्ट	35
2.	शीर्ष / विभागवार वास्तविक व्यय 2017-18 तथा अनुमोदित परिव्यय एवं सम्भावित व्यय 2018-19	36-41

अध्याय-1

पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनजातीय आबादी 3,92,126 है जो कि प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी का 5.71 प्रतिशत है जिसमें से 1,23,585 जनजातीय क्षेत्र में तथा 2,68,541 गैर जनजातीय क्षेत्र में रह रही है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र किन्नौर, लाहौल-स्पिति, पांगी तथा भरमौर परियोजना क्षेत्रों में 31.52 प्रतिशत जनजातीय समुदाय निवास करता है। जनजातीय आबादी का मुख्य जमाव प्रदेश के जिला किन्नौर, लाहौल-स्पिति, चम्बा, कांगड़ा में है इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति कुल्लू, मण्डी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला तथा सिरमौर जिलों में भी है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप-योजना का प्रारम्भ हुआ तथा इसके अच्छे परिणाम के उद्देश्य से जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन हेतु एक सामरिक नीति तैयार की गई। 9 जून, 1976 को जनजातीय विकास विभाग की स्थापना की गई और आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, को विभागाध्यक्ष बनाया गया तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी तैनात किये गये। वर्ष 1981 में इस विभाग में अनुसूचित जाति के कल्याण सम्बन्धी विशेष घटक योजना को भी शामिल किया गया तथैव इस का नाम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग रखा गया। मई, 2002 में अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (कल्याण विभाग) को स्थानान्तरित होने से अब इस विभाग को जनजातीय विकास विभाग के नाम से जाना जाता है।

1.1 विभाग का संगठनात्मक ढांचा :- वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय विकास विभाग के माननीय राम लाल मारकण्डा जी मन्त्री रहे। श्री ओ०सी० शर्मा, भा०प्र०से० मार्च, 2018 से मार्च 2019 तक प्रधान सचिव एवं आयुक्त (ज०जा०वि०) के रूप में माननीय जनजातीय विकास मन्त्री महोदय को सहयोग दिया। क्षेत्रीय स्तर पर 5 स्थानों पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय क्रमशः किन्नौर (रिकांगपिओ), लाहौल (केलांग), स्पिति (काजा), पांगी (किलाड़) तथा भरमौर कार्यरत हैं। इन सभी कार्यालयों का नियन्त्रण मुख्यालय स्तर पर है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबन्ध -I पर है।

1.2 विभाग के विषयों का आबंटन :-

- (1) अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा।
- (2) जनजातीय कल्याण योजना, नीति निर्धारण करना, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण देना।
- (3) अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां।
- (4) अनुसूचित जनजातियों के विकास में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना।
- (5) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- (6) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना।

- (7) राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा वित्तीय संस्थानों से चिन्हांकित की जाने वाली धनराशि का प्रवाह जनजातीय उप-योजना की ओर सुनिश्चित करना।
- (8) जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन तथा उचित कार्मिक नीति का अपनाया जाना।
- (9) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय हेतु जनजातीय विकास विभाग "नोडल विभाग" है।

1.3 जनजातीय विकास कार्यनीति – ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट विकास कार्यनीति विकसित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप-योजना का आरम्भ पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में हुआ था। जनजातीय उप-योजना के लिए अपनाई गई सामरिक नीति के मुख्य अंश हैं:

- (1) प्रदेश में ऐसे विकास खण्डों को चिन्हांकित करना जहां पर जन-जातीय जनसंख्या बाहुल्य है तथा ऐसे क्षेत्रों को एकीकृत विकास एवं परियोजना आधारित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बनाया गया।
- (2) राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा वित्तीय संस्थानों से चिन्हांकित की जाने वाली धनराशि का प्रवाह जन-जातीय उप-योजना की ओर सुनिश्चित किया जाना तथा
- (3) जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन तथा उचित कार्मिक नीति का अपनाया जाना। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप-योजना के लिए अपनाई गई सामरिक नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं तथा जनजातीय क्षेत्र व वहां के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गति आई है। सामरिक नीति द्वारा समान्यतः योजना निर्माताओं तथा योजना क्रियान्वयनकर्ताओं के ध्यान को जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की ओर उजागर किया गया है तथा इन क्षेत्रों तथा समुदायों के विकास को अधिक समेकित रूप से किये जाने पर बल दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में निवेश में एक विशेष उछाल आया है।

इसके अतिरिक्त आठवीं योजना के अन्त में जन-जातीय उप-योजना के निर्माण में महाराष्ट्र पद्धति का सूत्रपात किए जाने से एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है। पूर्व योजना निर्माण की प्रक्रिया को शिखर से तह तक बिल्कुल विपरीत कर दिया गया तथा पृथकीकृत योजना निर्माण एकीकृत जन-जातीय क्षेत्रों पर आधारित, आरम्भ की गई। इस प्रकार के प्रबन्ध से जनजातीय विकास विभाग जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की महत्ता निर्धारित करने तथा उन्हें आवश्यकतामूलक बनाने में सक्षम हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अपनाई गई इस प्रक्रिया को जारी रखा गया है। भारत के योजना आयोग तथा कल्याण मन्त्रालय अब जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में लोगों के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं, गरीबी उन्मूलन तथा खाद्यान्न सुरक्षित किए जाने के प्रावधान आदि के क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य

से सात मूलभूत न्यूनतम सेवाएं जैसे पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, आश्रय रहित लोगों को मकान, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था, ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण तथा लोक वितरण प्रणाली को नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002–2007 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 के दौरान आर्थिक सेवायें क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई तथा यातायात को प्राथमिकता दी गई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 में जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी गई जिसमें सड़कें, यातायात, कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। वार्षिक योजना 1991–92 से लेकर जन-जातीय उप-योजना का आकार प्रदेश की सम्पूर्ण वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत ही रखा जा रहा है।

1.4 जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण : जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं।

1. राज्य योजना
2. विशेष केन्द्रीय सहायता
3. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें
4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1.5 जनजातीय उप-योजना 2018–19 के तहत उपलब्ध राशि का सैक्टर वार ब्यौरा:

सैक्टर	(रु० लाखों में)	
	परिव्यय	सम्भावित व्यय
राज्य योजना	44283.00	47049.24
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2778.00	2994.43
विशेष केन्द्रीय सहायता	1363.30	1460.90
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	7617.00	7723.80
कुल	56041.30	59228.37

वित्त वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय तथा 2018–19 का परिव्यय एवं सम्भावित व्यय का ब्यौरा अनुबन्ध-2 पर है।

अध्याय – 2

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

जन-जातीय विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया:— जन-जातीय विकास विभाग अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास हेतु कार्यक्रमों का समन्वय करने तथा प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी नीतियों और योजनाओं को निरूपित करने वाला नोडल विभाग (Nodal Department) है। इन समुदायों के विकास हेतु योजनाओं एवं सेक्टरल कार्यक्रमों के सम्बन्ध में नीतियों एवं योजनाओं का निरूपण करने तथा उनका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं उनके समन्वय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/ विभागों के प्रशासकों का है। जनजातीय विकास विभाग प्रदेश के अनुसूचित जन जाति समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रत्येक विभाग के प्रयासों को समर्थन देता है तथा जिन विभागों को स्कीमों/ कार्यक्रमों के संचालन में मुश्किल आती है उन्हें दूर करने में समन्वय स्थापित करता है।

जन-जातीय सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत योजनाओं/ कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी एवं एकीकृत ढंग से कार्यान्वयन किया जाये, इसके लिए उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन, उचित कार्मिक नीति तथा वित्तीय व्यवस्था अपनाई गई है।

जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सामरिक -नीति से अनुसूचित क्षेत्रों तथा वहां रह रहे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से योजना तथा गैर- योजना स्कीमों के लिए निर्धारित बजट के क्षेत्र-बार सदुपयोग के लिए पृथक मांग का सृजन किया गया है। वर्ष 1981-82 में सृजन की गई इस मांग का नाम मांग संख्या-35 था जो अब मांग संख्या-31 है। इस मांग का संचालन एवं नियन्त्रण, जन जातीय विकास विभाग के पास है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा आर्थिक स्थिति भिन्न होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित/ आबंटित राशि केवल मात्र इन्हीं क्षेत्रों में खर्च हो तथा क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार विकास हो, के उद्देश्य से यहां के भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या अनुपात तथा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए राशि आबंटन की क्षेत्रवार प्रतिशतता निर्धारित की गई है जो निम्नोक्त है।

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

राज्य सरकार की योजना नीति अनुसार अनुसूचित जनजातीय विकास के लिए राज्य सरकार के योजना विभाग द्वारा जनजातीय उप-योजना के लिए राज्य की कुल योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हाकित किया जाता है जो प्रदेश की जनजातीय आबादी तथा अनुसूचित क्षेत्रों पर सैक्टरल प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाता है।

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता :- विशेष केन्द्रीय सहायता राशि जन-जातीय उप-योजना के योगज के रूप में जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रदेश सरकार के प्रयासों में मदद करती है। पूर्व में इसका उद्देश्य जहां मूल रूप से परिवार आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों में मुख्य अन्तर को भरना था अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें न केवल परिवार आधारित रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रमों को बल्कि

सामुदायिक कार्यकलापों को भी शामिल कर लिया गया । इस कार्यक्रम के अधीन निर्धारित दिशा- निर्देशों के मुख्य अंश इस प्रकार है :

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जन-जातीय आबादी को सहायता ।
2. विशेष केन्द्रीय सहायता राशि का व्यय प्राथमिक योजनाओं जैसे परिवार/ स्वयं सहायता समुह/ कृषि वागवानी, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमित विकास, समुदाय आधारित रोजगार एवं आय –सृजन के लिए किया जाना ।
3. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक लघु योजनाएं तैयार करना ।
4. विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बार निर्धारण करना ।
5. प्रभावी निगरानी और मुल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना ।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान : संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास की उन परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है जिन्हें राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के स्तर तक ऊँचा उठाना चाहती है । वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा ₹ 3378.16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई । इस राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा संस्थानों, कृषि, उद्यान, पशुपालन, कौशल विकास, वन अधिकार अधिनियम आदि पर व्यय किया गया । वर्ष 2018-19 के लिए अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त हुई राशि में से ₹ 153.00 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल निचार, जिला किन्नौर, 10.00 करोड़ रुपये एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल लाहौल स्थित वारिंग तथा पांगी स्थित किलाड, 1.36 करोड़ रुपये एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल भरमौर स्थित खणी के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया ।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: इस योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भी भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का सीमा क्षेत्र प्रबन्ध मण्डल विभाग वार्षिक आधार पर धनराशि उपलब्ध करवाता है । प्रथम बार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में रु0 4.00 करोड़ रुपये जनजातीय उप-योजना के अतिरिक्त प्राप्त हुए जो कि 2002-03 में बढ़ कर रु0 10.97 करोड़ रुपये हो गए। परन्तु वर्ष 2003-04 से इसका प्रावधान जनजातीय उप-योजना में ही किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 से केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की 90:10 के अनुपात की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में मु0 3500.00 लाख रुपये जारी किए गए जिसके अनुपात में राज्य हिस्से के रूप में मु0 278.00 लाख रुपये जारी किए गए तथा शेष राज्य हिस्से की राशि मु0 111.08 लाख रुपये अगले वित्त वर्ष में दी जानी प्रस्तावित है । पिछले कुछ वर्षों की अवधि में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंबटित बजट/परिव्यय का वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

<u>वर्ष</u>	<u>बजट/परिव्यय(लाखों में)</u>
2002-03	1097.85
2003-04	416.00
2004-05	1148.96
2005-06	642.05

2006-07	1269.00
2007-08	1119.00
2008-09	1297.00
2009-10	1276.00
2010-11	1280.00
2011-12	2000.00
2012-13	2320.00
2013-14	2100.00
2014-15	2100.00
2015-16	2310.00
2016-17	3444.44
2017-18	3778.00

कुल	27598.30
------------	-----------------

(राशि लाख रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा (90 प्रतिशत)	राज्य हिस्सा (10 प्रतिशत)	कुल
2018-19	2595.00	399.43	2994.43

नाभिक बजट: ऐसे स्थानीय विकासात्मक कार्यों जिनके लिए वर्ष के दौरान बजट उपलब्ध नहीं हो पाता परन्तु इन कार्यों के निष्पादन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती हो, के कार्यान्वयन हेतु नाभिक बजट के तहत प्रत्येक स्कीम / कार्य के लिए ₹ 1.00 लाख तक की धनराशि आबंटित की जाती है । वर्ष 2018-19 में जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में 90.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई ।

विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत 428.55 लाख रुपये व्यय किए गए ।

जनजातीय विकास में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियां:-

जन-जातीय लोगो की जीवन पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है । प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हैं । जनजातीय लोग पूर्णतया पारिस्थितिक लोग होते हैं । यद्यपि जन-जातीय समुदाय प्रदेश भर में फैले हुए हैं सामान्यतः अधिकांश जनजातीय आबादी प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में रहती है जो अत्यन्त पिछड़े तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं । ये विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां आधारभूत सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों का नितान्त अभाव है । प्रदेश में जहां जनसंख्या घनत्व 123 है वहीं इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व केवल 7 है ।

सड़कों एवं पुल :- पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1974-75 में जन-जातीय क्षेत्रों में सड़कों की कुल लम्बाई मात्र 684 कि०मी० थी । जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में 31.03.2019 तक 2811 कि० मी० मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया

गया जिसमें से 1399 कि०मी० पक्की सड़कें हैं । इन क्षेत्रों के विकास हेतु एकीकृत जन जातीय विकास परियोजना पद्धति तथा प्रत्येक परियोजना क्षेत्रों के लिए पृथक बजट निर्धारण के परिणाम स्वरूप 3/2019 तक जन जातीय क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति इस प्रकार है :-

Category	Motorable road length in Kms		
	Single Lane	Double Lane	Total
(A) STATE ROADS			
(I) Major District Roads	43	196	239
(II) Other Rural Roads	2013	14	2027
Total:	2056	210	2266
(B) CENTRAL ROADS			
(I) National Highways	-	28	28
(II) Border Roads with DGBR	297	220	517
Total:	297	248	545
(C) Total road length upto 3/2019	2353	458	2811
Road Density achieved Kms (per 100 Sq. Km)			11.88
Metalled & tarred length out of total length			1399 (49.76%)
Villages connected upto 31.03.2019 (out of 480 No. villages in Tribal area)			271 (56.46%)

सिंचाई व्यवस्था :- अनुसूचित जनजातीय लोगों के पास मुख्यतः ऐसी भूमि है जो सिंचाई हेतु वर्षा या बर्फ पर आश्रित है तथा इसी कारण इनकी उत्पादकता कम है । दुर्गम तथा ऊंची-नीची पहाड़ी भूमि होने के कारण सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था अधिकांश जगहों पर नहीं है । राज्य सरकार का प्रयास है कि उचित तकनीकी, जलसांभर (वाटर शैड) जलसंग्रह, लघु सिंचाई की सहायता से जनजातीय भूमि की आवश्यक नमीधारण क्षमता का विकास किया जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2018-19 में लघु सिंचाई के अन्तर्गत 40.04 करोड रुपये का मूल प्रावधान किया गया ।

शिक्षा:- सामाजिक उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है । यह न केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरण वास्तविकताओं के बारे में जागरूक करने के इलावा राष्ट्र के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ।

जन जातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ है । जहां वर्ष 1971 की जनगणना में साक्षरता दर 21.99 प्रतिशत थी वहीं 2011 की जनगणना में यह 77.10 प्रतिशत हो गई है जबकि प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है । जन जातीय क्षेत्रों में वर्ष 1976-77 तथा 2018-19 में विभिन्न शिक्षण संस्थानों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०	शिक्षण संस्थान	वर्ष 1976-77	वर्ष 2018-19
1	प्राथमिक पाठशाला	280	557
2	माध्यमिक पाठशाला	50	95
3	उच्च पाठशाला	24	47
4	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला	-	81

इसके अतिरिक्त 2 नवोदय विद्यालय, 2 केन्द्रीय विद्यालय तथा 4 महाविद्यालय हैं । लगभग प्रत्येक गांव में प्राथमिक पाठशालाएं हैं और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1-1.5 कि०मी० से अधिक नहीं चलना पड़ता है । इसी प्रकार 2-3 कि०मी० की दूरी पर माध्यमिक पाठशाला स्थापित है । बच्चों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े इसके लिए उचित स्थानों पर छात्रावास/आवासीय स्कूलों की सुविधा भी उपलब्ध है । जन जातीय क्षेत्रों में शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं/ प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं जो कि इस प्रकार से है :-

- 1) आई० आर० डी० पी० छात्रवृत्ति
- 2) लाहौल-स्पिति पद्धति पर छात्रवृत्ति
- 3) निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा लड़कियों को मुफ्त वर्दी
- 4) प्राथमिक/माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को Hot Mid Day Meal
- 5) Post Matric Scholarship
- 6) Merit Scholarship to ST Boys/ Girls
- 7) ठाकुर सेन नेगी Meritorius Scholarship

अनुसूचित जन जातीय लड़कियों/ लड़कों के छात्रावास की योजना : अनुसूचित जनजातीय लड़कियां/ लड़कों के लिए छात्रावास की योजना का प्रारम्भ प्रदेश में वर्ष 1997-98 में किया गया था । छात्रावासों की योजना अनुसूचित जनजातियों के लड़के/लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक लाभदायक तन्त्र है । इस योजना के अन्तर्गत नए छात्रावास भवनों के निर्माण तथा विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा योजना के अन्तर्गत छात्रावासों के निर्माण व विस्तार हेतु केन्द्र तथा राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर-बराबर लागत वहन की जाती थी। वर्ष 2009-10 से इस योजना के अन्तर्गत छात्रावासों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना/ राजीव गान्धी आवास योजना:- ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना के अन्तर्गत प्रति आवास रु० 1,30,000/- की राशि निर्धारित की गई है । वर्ष 2018-19 में इन कार्यक्रमों के तहत मु० 194.00 लाख रुपये का मूल प्रावधान किया गया ।

स्वास्थ्य:- जन जातीय क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 5 जिला/नागरिक चिकित्सालय, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 105 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए ।

पशुपालन:- जन जातीय समुदाय का कृषि के साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है, इसलिए इन क्षेत्रों में 52 पशु चिकित्सालय/केन्द्रीय पशु चिकित्सालय तथा 115 पशु औषधालय खोले गए ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, सोलन :- इस निगम द्वारा प्रदेश के जनजातीय लोगों के विकास व आर्थिक उत्थान के लिए व्यापक पग उठाये हैं जिसमें मुख्यतः स्वरोजगार स्कीमें, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम दर पर बैंक ऋण सुविधा व परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत सीमान्त पूंजी जो कि ₹ 10,000/- अधिकतम है, का प्रावधान है । वर्ष 2018-19 में इस निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत ₹ 105.07 लाख की राशि प्रदान की गई ।

अनुसूचित जनजाति आर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 :- भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया था तथा द्वितीय चरण में मार्च, 2012 से यह अधिनियम गैर जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया गया है । सितम्बर, 2019 तक 7 मामलों में 1890.11 है० पर सामुदायिक वन अधिकारों के पट्टे वितरित किए गए तथा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए परिवर्तन के 1633 मामले जून 2019 तक स्वीकृत किए गए ।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों में रह रहे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों जो कि पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं परन्तु उनके अधिकारों को अंकित नहीं किया जा सका तथा वन भूमि पर व्यवसाय, को पहचानना और चिन्हित करना है तथा इसके लिए रूपरेखा का प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन करना है। कोई भी जन जातीय व्यक्ति या समुदाय ग्राम सभा के सम्मुख निम्न शर्तों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता है:

- वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो ।
- स्थाई जीविका हेतु वन पर निर्भर हो ।
- 13 दिसम्बर 2005 से पहले वन भूमि का अभिग्रहण (कब्जा) तथा 2 जनवरी 2007 तक निरन्तर स्वामित्व हो ।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996:- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 लघु वन उत्पाद का स्वामित्व सम्बन्धित ग्राम सभा को सौंपने की व्यवस्था करता है तथा यह अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है ।

राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करने तथा इसका संशोधन करने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों विशेषतः किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति जिलों में पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास कर रहे मूल अनुसूचित जाति समुदाय की मांग थी कि राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, अधिनियम 1996 में पंचायती राज संस्थाओं के पदों को भरने में इन क्षेत्रों के मूल अनुसूचित जाति समुदाय को भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप भाग लेने का हक मिल सके । इस प्रकार की मांग को पूरा करने हेतु Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 पारित किया गया, जो दिनांक 7.01.2003 से लागू है । इस विभाग के पत्र दिनांक 13.01.2003 द्वारा सभी विभागों/ बोर्डों/ निगमों को Scheduled Caste and Scheduled Tribes

Orders(Amendment) Act, 2002 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में उचित प्रविष्टियां करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

जन-जातीय अनुसन्धान संस्थान:- जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की योजना “Support to Tribal Research Institute (TRI)” के अन्तर्गत जनजातीय अनुसंधान को वर्ष 2018 में जनजातीय विकास विभाग में ही स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित और स्वीकृत किये जाते हैं जिस पर शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान और मूल्यांकन अध्ययन, विचार-गोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजन तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा जनजातीय उप-योजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2018-19 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेशों के लिए 133.50 लाख रुपये की प्रस्तावनाएं अनुमोदित की है जिसमें से अब तक राशि मु0 106.80 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के शिक्षा व सामाजिक सुधार कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अनुदान योजना:- इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है । वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातियों से सम्बन्धित 5 गैर – सरकारी संगठनों के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए गए जो निम्न प्रकार हैं:-

1.	द इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इन बुद्धिस्ट फिलोसिफी एण्ड ट्राईबल कलचरल सोसाईटी, ताबो, स्पिति जिला लाहौल-स्पिति	आवासीय स्कूल
2.	रिचन जंगपो सोसाईटी फॉर स्पिति डवैलपमेंट स्थित योल कैन्ट जिला कांगड़ा	आवासीय स्कूल
3.	हिमालयन बुद्धिस्ट कलचरल एसोसियेशन, बटाहर बिहाल, डा0घर हरिपुर, जिला कुल्लु	आवासीय स्कूल
4.	बुद्धिस्ट कलचरल सोसाईटी कीह गोम्पा, स्पिति जिला लाहौल-स्पिति	छात्रावास
5.	रमधा बुद्धिस्ट सोसायटी, सिद्धपुर धर्मशाला, जिला कांगड़ा	छात्रावास

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण : यह योजना वर्ष 1997-98 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य प्रयोजन जनजातीय युवाओं के कौशल का विकास करना है ताकि उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें । इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के माध्यम से जनजातीय लड़कों/ लड़कियों को प्रशिक्षण देकर किया जा रहा है । इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान मु0 295.80 लाख रुपये की राशि (200.25 लाख रुपये वित्तीय केंद्रीय सहायता में तथा मु0 95.55 लाख रुपये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में) आबंटित की गई तथा 703 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : इस योजना का प्रयोजन अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं । इस योजना में विभिन्न स्तरों के व्यावसायिक, तकनीकी तथा अव्यावसायिक व अतकनीकी पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है । 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम वर्ष 2001-02 में किया गया व्यय राज्य सरकार का प्रतिबद्ध देयता व्यय बन गया है जिसे वर्ष 2002 से आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से प्रत्येक वर्ष के दौरान वहन किया जाना अपेक्षित है।

(रुपये लाखों में)

वर्ष	लाभार्थी	राज्य प्रतिबद्ध देय	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि	कुल
2003-04	3262	36.10	1.31	37.41
2004-05	3600	36.10	7.86	43.96
2005-06	4000	36.10	6.61	42.71
2006-07	3930	36.09	49.31	85.40
2007-08	4716		17.09	17.09
2008-09	2271		10.00	44.62
2009-10	2368		49.94	49.94
2010-11	2816		113.99	113.99
2011-12	4688		1141.84	1141.84
2012-13	3606		1196.70	1196.70
2013-14	4550		1290.32	1290.32
2014-15	2249		1273.76	1273.76
2015-16	6342		1350.00	1350.00
2016-17	3739		931.36	931.36
2017-18	2204		3125.36	3125.36
2018-19	4729		278.15	278.15

संशोधित योजना के अनुसार दिनांक 01.04.2003 तथा 01.07.2010 से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को 4 वर्ग में बांटा गया है और प्रतिमास अनुरक्षण भत्ता निर्धारित किया गया है । यह योजना शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है तथा इस के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 है ।

अध्याय – 3
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियां:

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया है । इसलिए अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है । इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भिक लोक अधिसूचना के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जायेंगे । इस सूची में आगे कोई भी संशोधन संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है । अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष से सम्बन्धित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति ही माने जाएं । अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए उनका निर्धारण एक समिति द्वारा किया गया तथा ये विशेषताएं हैं:-

- (क) आदिम जनजातीय गुण,
- (ख) अनूठी संस्कृति
- (ग) आम लोगों से संपर्क करने में कतराना
- (घ) भौगोलिक अलगाव और
- (ङ) पिछड़ापन – सामाजिक और आर्थिक

अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है । भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08.01.2003, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन एक्ट, 2002 में पंजाब के कुछ क्षेत्र जो हिमाचल में विलय हुए थे, में निवास कर रहे गद्दी व गुज्जरो को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया । इसके अतिरिक्त संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950 –V के खण्ड अधिनियम में 9 और 10 पर निम्न जातियों के इन्द्रराज को भी शामिल किया गया ।

9. बेटा, बेड़ा

10. डेम्बा, गारा, जोबा

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के अधिक दूरदराज क्षेत्र, जलवायु व भौगोलिक परिदृष्टि से विषम तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी जनजातीय क्षेत्र घोषित कराने और इस मामले को भारत सरकार से उठाने में सतत प्रयासरत है । इस संदर्भ में जिला सिरमौर गिरीपार क्षेत्र के इस सम्बन्ध में लोकुर समिति के द्वारा तय किये गये मापदण्डों पर जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विविद्यालय द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट जनजातीय मन्त्रालय को भेजा गया । इसके बाद सचिव, भारत सरकार जनजातीय कार्य मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में एक पूर्ण नवीन विज्ञान (Ethnographical) अध्ययन करवाने और जल्द से जल्द मन्त्रालय को एक नया प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, तदोपरान्त राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर पुनः निरीक्षण करके हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया । इस मामले में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है तथा इस पर अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त जिला मिला, डोडराक्वार, चिड़गांव,

रामपुर बुँाहर तहसील का पिछड़ा क्षेत्र-6/20,12/20 तथा 15/20 क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्ययन करवाने व किये गये अनुसन्धान का विवरण सहित रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु जनजातीय अध्ययन संस्थान हि0 प्र0 वि०विद्यालय, िमला को 3.00 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इस प्रकरण में समुचित कार्रवाई की जाएगी।

जनजातियों का विवरण :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 3,92,126 है जो प्रदेश की कुल आबादी का 5.71 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 50.48 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई गई है जो कि मुख्यतः वर्ष 1966 में प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्रों (जिला कांगड़ा, हमीरपुर, उना, कुल्लू तथा जिला सोलन के कंडाघाट तथा नालागढ़ उपमण्डल) में रह रहे गद्दी एवं गुज्जर समुदायों को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से हुई है। जिला किन्नौर, जिला लाहौल-स्पिति, जिला चम्बा के पांगी तथा भरमौर तहसीलों में आधे से ज्यादा आबादी जनजातीय बहुलता की है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों की आबादी बिखरी हुई है। जिला चम्बा के दो क्षेत्रों चम्बा तथा भटियात जिनमें जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है को MADA घोषित करके विशेष पॉकेट का दर्जा दिया गया है और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक से राशि का निर्धारण किया गया है।

प्रदेश का 42.49 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है जिनमें ये परिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में जंगलों, पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। प्रदेश में रह रहे जनजातीय लोगों ने जहां एक ओर रहन-सहन के गैर-जनजातीय तौर-तरीके अपना लिए हैं वही दूसरी ओर ये (क) कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी (ख) स्थिर जनसंख्या (ग) कम साक्षरता तथा (घ) अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर की विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्न प्रकार से दर्शाया गया है।

जनगणना वर्ष	जनजातीय क्षेत्र-वार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता						
	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	कुल	राज्य
2001	71.83	70.65	77.82	87.15	80.46	75.61	4.02
2011	57.95	79.36	84.64	90.18	82.12	71.16	5.71

प्रमुख जनजातियां

भारत के संविधान (अनुसूचित जनजातीय) अधिनियम 1950 के खण्ड-V तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 8-01-03 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन एक्ट 2002 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में उद्भूत जनजातियां निम्नोक्त हैं:-

1. भोट, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड़, लाम्बा, खाम्पा

5. कनौरा, किन्नरा
6. लाहुला
7. पंगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेड़ा
10. डेम्बा, गारा, जोबा

जनसंख्या प्रोफाईल : वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10,42,81,034 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है ।

जनसंख्या वृद्धि : जनजातीय जनसंख्या में वर्ष 1981 से 1991 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान देश में (13.14 प्रतिशत) की बढ़ौतरी हुई है जबकि प्रदेश में यह बढ़ौतरी (20.79 प्रतिशत) रही । जनगणना वर्ष 1991-2001 के बीच देश में जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर (9.88 प्रतिशत) रही जबकि प्रदेश की यह बढ़ौतरी (17.54 प्रतिशत) रही । 2001-2011 के बीच देश में जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर (23.70 प्रतिशत) रही जबकि प्रदेश की यह बढ़ौतरी (50.48 प्रतिशत) हुई है । 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की अधिकतम वृद्धि दर स्पिति में (16.65 प्रतिशत) तथा न्यूनतम वृद्धि दर लाहौल में (-15.25 प्रतिशत) रही ।

लिंग अनुपात: 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 972 महिलाएं) की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष के मुकाबले 877 महिलाएं हैं जो प्रदेश की तुलना में कम है विशेषकर किन्नौर तथा स्पिति में यह अन्य जनजातीय क्षेत्रों के मुकाबले कम है ।

साक्षरता : 2001-2011 के बीच जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 70.37 प्रतिशत से बढ़ कर 77.10 प्रतिशत हुई है जबकि प्रदेश में समग्र साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत से बढ़ कर 82.80 प्रतिशत हुई है । 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर में 62.28 प्रतिशत से बढ़ कर 67.41 प्रतिशत वृद्धि हुई है । प्रदेश में समग्र महिला साक्षरता दर 67.40 प्रतिशत से बढ़ कर 75.93 प्रतिशत हुई है । जनगणना वर्ष 2001-2011 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

	जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर						
	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	कुल	राज्य
2001 जनगणना							
कुल	75.27	72.64	74.10	60.30	62.18	70.37	76.50
पुरुष	84.44	81.23	86.40	74.60	73.53	81.00	85.00
महिला	64.77	61.60	58.70	44.20	67.64	62.28	67.40
2011 जनगणना							
कुल	80.00	74.97	79.76	71.02	73.85	77.10	82.80
पुरुष	87.27	84.59	87.37	82.52	82.55	85.50	89.53
महिला	70.96	64.50	70.74	59.27	64.67	67.41	75.93

स्वास्थ्य संकेतक : बाल मृत्यु दर का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है । भारत व हिमाचल प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति (SRS-2016 अनुसार) निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :-

सूचकांक	शिशु मृत्यु दर/1000	5 वर्ष या उससे नीचे मृत्यु दर/1000	जन्म दर/1000	मृत्यु दर/1000
भारत	34	39	20.4	6.4
हिमाचल प्रदेश	25	27	16.0	6.8

राजनीतिक:

पांचवी अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यों के राज्यपालों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिए **राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद** की स्थापना की गई है जिसमें वर्तमान में 18 सदस्य तथा 4 विशेष आमन्त्रित महिला सदस्य हैं । अनुसूचित क्षेत्रों के सदस्यों के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे विधानसभा सदस्य भी इस परिषद के सदस्य है । सामान्यतः इस परिषद की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा अब तक इसकी 46 बैठकें हो चुकी हैं । यद्यपि यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित अपनी सलाह देती है परन्तु अधिकतर सुझाव राज्य सरकार द्वारा मान लिए जाते हैं ।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मुद्दा:- यदि कोई व्यक्ति जन्म से एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा करता है तो यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :

- (1) कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में सम्बन्धित हैं
- (2) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि अधिसूचना की तारीख को सम्बन्धित क्षेत्र के स्थाई निवासी होने चाहिए ।
- (3) कि वह जाति / समुदाय अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल हैं ।
- (4) वह व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थाई निवास स्थान से अस्थायी रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है यदि उसकी जनजाति उस क्रम में उसके राज्य क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की गई हो ।

देशान्तरण पर अनुसूचित जनजाति दावे:-

1. जहां एक व्यक्ति राज्य के उस भाग से जहां उसका क्षेत्र/ समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के दूसरे भाग में जहां वह समुदाय/ क्षेत्र अनुसूचित नहीं है तो वह अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा ।

2. यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में देशांतरण करता है तो वह केवल उस राज्य (पूर्व राज्य) के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के सम्बन्ध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है ।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रः— अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निर्धारित प्राधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. जिला मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त ;
2. उपमण्डलीय दण्डाधिकारी / राजस्व अधिकारी तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं ।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति दावे :

मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है उसे अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना केवल इसलिए नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति से विवाह कर लिया है ।

इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा जो अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।

अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान का निर्धारण : अनुसूचित जनजातीय तथा सामान्य वर्ग या इसके विपरीत अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न सन्तान के निर्धारण के विषय में राज्य कल्याण विभाग के पत्र संख्या : कल्याण – च (10) –32 /78 दिनांक 4/5 नवम्बर 1986 में विस्तृत खुलासा किया गया है ।

अध्याय-4
सूचना का अधिकार नियम 2005 :

जनजातीय विकास विभाग में सूचना का अधिकार नियम -2005 उप-नियम 4 (1)(बी) के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूचना, कर्तव्यभार, कार्य एवं शक्तियां, जो जनता/ नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्रदान करने में तथा कार्य निष्पादन के स्तर को उन्नत करने में पारदर्शी एवं उत्तरदायी हैं, का विवरण इस प्रकार है :-

क. सरकार / सचिवालय स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव (ज०जा०वि०) हि० प्र० सरकार (अधिकारी की नियुक्ति पर निर्भर)	कार्यालय 2628476	जन सूचना अधिकारी
2	संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव (ज०जा०वि०) हि० प्र० सरकार	कार्यालय 2628476	अपीलीय प्राधिकारी यदि अवर सचिव/उप सचिव राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	सचिव (ज०जा०वि०) हि० प्र० सरकार	कार्यालय 2622269	अपीलीय प्राधिकारी यदि विशेष सचिव राज्य जन सूचना अधिकारी

ख. राज्य स्तर पर:

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	उप निदेशक (ज०जा०) बिजलानी हाउस छोटा शिमला -2	कार्यालय 2621997	जन सूचना अधिकारी
2.	आयुक्त (ज०जा०वि०) बिजलानी हाउस, छोटा शिमला-2	कार्यालय 2621997 आवास	अपीलीय अधिकारी

ग. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	1. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर स्थित रिगांगपिओ	किन्नौर का० 222273 आ० 222378	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र में जन सूचना अधिकारी
	2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत	लाहौल का० 202262	

	जनजातीय विकास परियोजना लाहौल स्थित केलंग	आ0 202262	
	3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्पिति स्थित काजा	स्पिति का0 222302 आ0 222208	
	4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना पांगी स्थित किलाड़	पांगी का0 242251 आ0 242222	
	5. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर	भरमौर का0 225506 आ0 225505	
2	जिला स्तर पर (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर, जिला किन्नौर, लाहौल, स्पिति जिला लाहौल-स्पिति, पांगी व भरमौर जिला चम्बा को छोड़कर)		
	1. जिला योजना अधिकारी सम्बन्धित जिला के लिए	बिलासपुर 222668 चम्बा 226166 हमीरपुर 222702 कांगड़ा 223316 कुल्लू 222873 मण्डी 225212 शिमला 2808399 सिरमौर 223008 सोलन 223702 ऊना 226057	जन सूचना अधिकारी
3	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (जहां पर अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त नहीं है)	बिलासपुर 224763 चम्बा 222540 हमीरपुर 224324 कांगड़ा 223322 कुल्लू 222226 मण्डी 225203 शिमला 2657003 सिरमौर 222410 सोलन 223705 ऊना 225188	अपीलीय अधिकारी

इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार नियम 2005 के नियम 4 उप-नियम (1)(बी) में दर्शाये गये प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय रिकार्ड तथा अन्य कार्यकलाप दर्शाये जाने का प्रावधान है जो इस प्रकार है :-

माननीय मुख्यमंत्री, हि0प्र0 जनजातीय विकास विभाग के समग्र निरीक्षक होंगे । वर्तमान में माननीय जनजातीय विकास मंत्री महोदय जनजातीय विकास विभाग के प्रभारी मंत्री हैं । जनजातीय विकास विभाग का संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है :

क: सरकार के स्तर पर :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जनजातीय विकास), हि0प्र0 सरकार
3. विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव (इनमें से जो भी कार्यरत हो)
3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासनिक शाखा निरीक्षक)

कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्य इस प्रकार है :-

क्रमांक	विवरण	विस्तार
1.	संस्था के कार्यकलाप तथा पद के कर्तव्य का विवरण	<p>जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 मुख्य सचिव/ अति0 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जनजातीय विकास के कार्य निर्वहन कर्तव्य विवरण इस प्रकार हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जनजातीय क्षेत्रों व राज्य के अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के लिए योजना बनाने में समन्वय स्थापित करना । 2. सभी नीतिगत मामले तथा जनजातीय क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति सदस्यों /समुदायों के लिए नई स्कीमों का परिचय । 3. परियोजना सलाहकार समिति, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन । 4. जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित मामलों में सभी विभागों को परामर्श प्रदान करना । 5. मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी सभी मामले । 6. जनजातीय क्षेत्र व राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित सभी विभागों के कार्यकलाप में समग्र समन्वय तथा मूल्यांकन करना ।

विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव / उप- सचिव / अवर सचिव

ऊपर लिखित सभी मुद्दों पर मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) को सहयोग देना ।

अनुभाग अधिकारी

जनजातीय विभाग सचिवालय प्रशासनिक शाखा के प्रभारी होने के साथ-साथ स्थापना, बजट, लेखा सम्बन्धी कार्य की देख-रेख करना ।

ख. राज्य स्तर पर :

1. आयुक्त, (जनजातीय विकास)
2. उप निदेशक (जनजातीय विकास)
3. अधीक्षक ग्रेड - II

1. संस्था के जनजातीय विकास विभाग, (हि0प्र0) कार्यकलाप तथा पद कार्यकलाप : के कर्तव्य का विवरण

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय उप-योजना का कार्यान्वयन, समीक्षा तथा अनुश्रवण करना

कर्तव्य :

स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनजातीय उप-योजना का कार्यान्वयन, मांग संख्या -31 के बजट में शामिल करना, स्कीमवार बजट आबंटन को कार्यान्वयन विभागों को आईटीडीपी में भेजना, वर्ष के दौरान राशि को पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से व्यय की समीक्षा बैठकें करना

2. अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य

आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0

1. विभागाध्यक्ष
2. पृथक स्कीमों को स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां, कार्यों के रख-रखाव व मुरम्मत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां, स्कीमों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्रोत से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां,

3. पृथक कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना, मशीनरी, औजार व संयंत्रों के मुरम्मत पर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना ।
4. भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अन्य राज्यों के जनजातीय विभागों के समन्वय स्थापित करना ।
5. सही अर्थों के प्रयोजन हेतु मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत मुख्य नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां प्राप्त है ।
6. जनजातीय सलाहकार परिषद, गद्दी कल्याण बोर्ड तथा गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठकों में सदस्य सचिव की शक्तियां प्राप्त है ।
7. जनजातीय तथा गैर जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों/ योजनाओं की प्रगति /समीक्षा बैठकें सम्बन्धित कार्यान्वयन विभागों से करने की शक्तियां ।
8. परियोजनाओं/ स्कीमों/नये कार्यों/चालू कार्यों के निरीक्षण की शक्तियां

उप निदेशक, जनजातीय विकास

1. कार्यालयाध्यक्ष
2. आयुक्त, जनजातीय विकास को प्रशासन में, जनजातीय उप-योजना के क्रियान्वयन में, बजट बनाने में, अनुसूचित जनजाति कल्याण में कार्यरत राज्य के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालय के मध्य समन्वय स्थापित करने इत्यादि कार्यों में सहायता प्रदान करना ।
3. जनजातीय विकास विभाग में श्रेणी-||, श्रेणी-||| तथा अधिकारियों / कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता व अन्य भत्तों के सन्दर्भ में नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां प्रदान हैं ।
4. जनजातीय सलाहकार परिषद, गद्दी कल्याण बोर्ड, गुज्जर कल्याण बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता बिलों के लिए नियन्त्रक अधिकारी ।
5. जनजातीय क्षेत्र/ गैर जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित कार्यों को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करना ।

6. विभागीय गाड़ियों के लिए नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां ।
7. समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।

अनुसन्धान अधिकारी (मुख्यालय)

आहरण एवं वितरण अधिकारी

उप निदेशक के कार्यों में सहायता करना तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर दिये गये कर्तव्य को निपटाना ।

सहायक अनुसन्धान अधिकारी

1. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग स्कीमों की प्रक्रिया शुरू करना, मांग संख्या - 31 के अन्तर्गत बजट, परियोजना क्षेत्रवार/ स्कीमवार बजट तैयार करना, जनजातीय उप-योजना स्कीमों/ सीमा क्षेत्र विकास स्कीमों की मासिक/ त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित सभी प्रकार का पत्राचार तथा रिकार्ड रखना ।
2. सभी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना ।
3. लोक लेखा समिति और विधानसभा आश्वासनों का कार्य करना ।

सांख्यिकीय सहायक

जनजातीय उप-योजना को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग स्कीमों की प्रक्रिया शुरू करना, मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट तैयार करना, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, जनजातीय उप-योजना/सीमा क्षेत्र विकास योजना की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना ।

गणक एवं टंकक

मानव विकास, सरकारी संस्थानों, नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के सूत्र X, 36 के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूचना इत्यादि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना तथा इस सूचना को कम्प्यूटर में फीड करना ।

प्रशासनिक कक्ष

अधीक्षक ग्रेड-॥

जनजातीय भवन ढली के प्रबन्धक पद के कार्य को देखना ।

अधीक्षक ग्रेड-॥

1. अधीक्षक ग्रेड-॥ की देख-रेख में विभाग की प्रशासनिक शाखा के कार्यों का निरीक्षण ।
2. सभी तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनात करना, चालकों की तैनाती तथा प्रतिदिन कार्यों की देख-रेख करना ।
3. सभी कार्यकारी कर्मचारियों के रजिस्टर इत्यादि चैक करना तथा उन्हें अद्यतन स्थिति में रखना ।
4. अनुभाग तथा उच्च अधिकारियों के बीच डाक तथा फाईलों को भेजने तथा लाने की निगरानी रखना ।
5. समयबद्ध/न्यायिक मामलों को समय पर प्रस्तुत करना
6. कानून नियमावली, नियम, निर्देश, गार्ड-फाईल, अनुभाग के पूर्वता रजिस्ट्रों को अद्यतन स्थिति में रखना ।

निजि सहायक

अधिकारियों को निम्न कार्यों में सहयोग देना

1. दिन-प्रतिदिन बैठकों की सारणी रखना ।
2. सम्बन्धित अधिकारी के टैलीफोन कॉल की अनुपालना
3. श्रुतलेखन तथा टाईप का कार्य ।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गये अन्य निर्देशों की अनुपालना ।

वरिष्ठ सहायक

1. नई नस्तियों को खोलना तथा उनका रख-रखाव करना, सन्दर्भ ढूँढना, मामलों को नस्ति पर डील करना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, विभिन्न प्रकार के डाटा को अद्यतन स्थिति में रखना तथा विभिन्न रजिस्ट्रों को संभाल कर रखना ।
2. स्थापना सम्बन्धी सभी कार्य जिसमें भर्ती एवं

पदोन्नति नियम शामिल हैं, सर्विस बुक, सर्विस रिकार्ड, छुट्टियों का लेखा-जोखा, पैन्शन कागजात, अनुशासनात्मक मामले तथा निजि नस्तियों का रख-रखाव तथा उन्हें सम्भाल कर रखना ।

कनिष्ठ सहायक / लिपिक

1. सभी कर्मचारियों / अधिकारियों का आकस्मिक अवकाश रिकार्ड रखना ।
2. स्टोर सम्बन्धी कार्य, डाक का प्रेषण, डायरी करना तथा टंकण सम्बन्धी कार्य करना ।
3. वरिष्ठ सहायक द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले कार्यों का निपटाना तथा वरिष्ठ सहायक के कार्य को निपटाने में उसकी मदद करना ।
4. शीतकाल में जनजातीय क्षेत्रों के लिए की जाने वाली हैलीकॉप्टर की उड़ानों का संचालन करना ।

वरिष्ठ/कनिष्ठ आशुलिपिक

अधिकारी को निम्न कार्यों में सहायता देना:

1. दिन-प्रतिदिन की कारगुजारी बारे अधिकारी को अवगत करवाना तथा बैठक बारे अवगत करवाना ।
2. अधिकारी की टैलीफोन कॉल सुनना ।
3. श्रुतलेखन तथा टाईपिंग कार्य ।
4. अधिकारी द्वारा बताये गये अन्य कर्तव्यभार ।
5. विभाग का टाईप सम्बन्धी कार्य ।

ख. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर :

1. आवासीय आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर

इनके कार्य, शक्तियां इस प्रकार हैं :

1. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर कार्यरत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं ।
2. पृथक-पृथक स्कीमों को स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां, कार्यों के रख-रखाव व मुरम्मत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां,

इकहरी प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत स्कीमों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्रोत से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां ।

3. अनुसूचित जनजाति के हित के लिए चलाई जा रही स्कीमों / योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ बैठकें करना तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना ।
4. चालू कार्यों / स्कीमों / परियोजनाओं तथा नये कार्यों का निरीक्षण करना ।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर

1. जनजातीय उप-योजना कार्यान्वयन, समीक्षा बैठकों तथा जनजातीय उप-योजना राशि की उपयोगिता में आवासीय आयुक्त/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की सहायता करना ।
2. परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सदस्य सचिव की भूमिका निभाना ।
3. जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों/स्कीमों जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाभिक बजट स्कीम, विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना सम्बन्धी समीक्षा बैठकों का कार्य संचालन करना ।
4. आयुक्त (जनजातीय विकास) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय करना ।
5. जनजातीय उप-योजना तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यों/स्कीमों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आयुक्त (जनजातीय विकास) के कार्यालय में भेजना ।

अनुसन्धान अधिकारी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर)

1. विभिन्न प्रकार के नियत किये गये कार्यों के सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी को सहयोग देना ।

सहायक अनुसन्धान अधिकारी

1. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग, मांग संख्या – 31 के अन्तर्गत बजट, विभागवार/ स्कीमवार बजट तैयार करना, उपरोक्त स्कीमों की मासिक/ त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्राचार तथा रिकार्ड करना ।
2. रिपोर्ट तैयार करना ।
3. लोक लेखा समिति और विधानसभा आश्वासनों सम्बन्धी कार्य ।
6. पुर्नविनियोजन/विचलन मामलों में कार्यवाही करना ।

सांख्यिकीय सहायक

जनजातीय उप-योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग तथा मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी कार्य, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना । उपरोक्त स्कीमों की मासिक/ त्रैमासिक वित्तीय/ भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना ।

गणक एवं टंकक

मानव विकास, सरकारी संस्थानों, नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के सूत्र X- 36 के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूचना इत्यादि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना तथा इस सूचना को कम्प्यूटर में फीड करना ।

अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (गैर-जन जातीय जिलों के लिए)

विशेष केन्द्रीय सहायता और जन जातीय उप योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का समन्वय तथा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ।

जिला योजना अधिकारी

राज्य के गैर जन जातीय क्षेत्रों/माडा पॉकेट में रह रहे

विखरी हुई जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं व अन्य सम्बन्धित कार्यों का मूल्यांकन/समीक्षा ।

**3. पर्यवेक्षण एवं
उत्तरदायित्व
सम्बन्धी निर्णयन
कार्य प्रक्रिया
कार्यविधि**

राज्य में जनजातीय उप-योजना की धारणा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 से अपनाई गई थी । सरकार की योजना नीति अनुसार प्रतिवर्ष राज्य योजना आकार राशि का 9 प्रतिवर्ष भाग जनजातीय उप-योजना के लिए चिन्हांकित किया जाता है । राज्य योजना विभाग, राज्य योजना परिव्यय का अधिकतम 9 प्रतिशत हिस्सा जनजातीय विकास विभाग को उपलब्ध कराता है, जनजातीय विकास विभाग इन परिव्ययों को प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं जैसे किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित फार्मूला 20 प्रतिशत क्षेत्र, 40 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत आपेक्षिक पिछड़ापन पर आधारित हैं, के अनुसार परिव्यय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं होती हैं जिनके आधार पर धन का आबंटन उस क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यों / स्कीमों के लिए किया जाता है । उपरोक्त आबंटन के आधार पर प्रत्येक परियोजना क्षेत्र अपनी योजना तैयार करते हैं जिसमें परियोजना सलाहकार समिति जिसमें सभापति सम्बन्धित विधायक होते हैं, की मंजूरी ली जाती है । परियोजना सलाहकार समिति द्वारा पारित की गई जनजातीय उप-योजना को जनजातीय विकास विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर संकलित करके सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के परामर्श उपरान्त अन्त में इसे जनजातीय उप-योजना में शामिल किया जाता है । जनजातीय विकास विभाग द्वारा जनजातीय उप-योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि की उपयोगिता के लिए जिम्मेदार हैं इसके लिए विभिन्न स्कीमों का अनुश्रवण किया जाता है ।

4. कार्य के निष्पादन हेतु स्थापित किये गए मानक जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने की अवधि सीमित है। अधिक ठंड तथा बर्फ गिरने के कारण कार्यों के निष्पादन हेतु व्यय मानक इस प्रकार रखे गये हैं :

तिमाही	तिमाही के मानक	संचित मानक
प्रथम	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत
द्वितीय	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
तृतीय	25 प्रतिशत	85 प्रतिशत
चतुर्थ	15 प्रतिशत	100 प्रतिशत

5. कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली तथा अभिलेख विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश / नियमावली, का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1. सी0सी0एस0 लीव रूल्ज़ 1972
2. सीसीएस एण्ड सीसीए रूल्ज़
3. एचपीएफआर रूल्ज़
4. एचपीएफआर एण्ड एसआर रूल्ज़
5. मैडिकल एटैन्डैन्स रूल्ज़
6. जनरल फाईनॉन्स रूल्ज़
7. एचबी एडवॉन्स रूल्ज़
8. डेलीगेशन ऑफ फाईनेन्सियल पॉवर रूल्ज़
9. लीव-ट्रैवल कन्सैशन रूल्ज़
10. बजट मैनुअल
11. ऑफिस मैनुअल
12. व्हीकल रूल्ज़
13. पैंशन रूल्ज़
14. जीपीएफ रूल्ज़

6. विभाग के पास उपलब्ध श्रेणीबद्ध दस्तावेजों का विवरण
1. वार्षिक जनजातीय उप-योजना दस्तावेज ।
 2. जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट परिव्यय पुस्तिका ।
 3. परियोजना क्षेत्रवार निर्माण कार्यों की सूची ।

4. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।
5. योजना बजट परिव्यय आबंटन पुस्तिका ।
6. सांख्यिकीय प्रोफाईल ।

7. नीति निर्धारण तथा उसके कार्यान्वयन हेतु जन सदस्यों के परामर्श तथा अभ्यावेदन हेतु उपलब्ध व्यवस्था के विशेष

परियोजना सलाहकार समिति : प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया गया है । इस समिति की अध्यक्षता स्थानीय विधायक करते हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों के संसद सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के क्रमशः दो-दो सदस्य, सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य तथा परियोजना क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी जिसमें बोर्ड तथा कार्पोरेशन भी शामिल हैं, ये सभी परियोजना सलाहकार समिति के सदस्य हैं । आवासीय आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी समिति के उपाध्यक्ष हैं । परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना इस समिति के सदस्य सचिव हैं । परियोजना सलाहकार समिति अपने सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रों में जनजातीय उप-योजना को बनाने, क्रियान्वयन करने तथा इसकी समीक्षा का कार्य करती है ।

जनजातीय सलाहकार परिषद : भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूचि के अनुच्छेद 244 (1) भाग -बी के पैरा- 4 के अन्तर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ है । इस परिषद का गठन 13-12-1977 को किया गया । इसके गठन के बाद पहली बैठक दिनांक 24-6-1978 को हुई थी, तत्पश्चात् इस परिषद की अब तक 46 बैठकें हो चुकी हैं । जनजातीय सलाहकार परिषद के कुल 22 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष (मुख्यमन्त्री) भी शामिल है। यद्यपि स्वभाव से यह परिषद् परामर्शदात्री है परन्तु परम्परानुसार इसके माध्यम से की गई सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती है या कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन्हें विचार विमर्श के बाद परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त यह परिषद् जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन का कार्य भी देखती है ।

8. बोर्डों, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकायों का विवरण जिनमें दो या दो से अधिक

परियोजना सलाहकार समिति की बैठकें तिमाहीवार प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में की जाती हैं जबकि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठकें वर्ष में दो बार की जाती है । इन समितियों / परिषद के सरकारी / गैर -सरकारी सदस्य ही बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु इन बैठकों के कार्यवाही विवरणों की

व्यक्ति हों का गठन, या परामर्श हेतु क्या इन बोर्डों, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकायों की बैठकों का विवरण जनता के लिए उपलब्ध है या इन बैठकों की कार्यवाही का विवरण जनता को मान्य है,

यदि आम जनता को आवश्यकता हो तो इसे उपलब्ध करवाया जा सकता है ।

9. अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका

1. आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0
2. अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0
3. उप निदेशक, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0
4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर
5. अनुसन्धान अधिकारी, (मुख्यालय/परियोजना स्तर पर)
6. अधीक्षक ग्रेड- II
7. निजी सहायक ग्रेड- II
8. सहायक अनुसन्धान अधिकारी (मुख्यालय तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर)
9. सांख्यिकीय सहायक
10. वरिष्ठ सहायक
11. वरिष्ठ आशुलिपिक
12. कनिष्ठ आशुलिपिक
13. कनिष्ठ सहायक/ लिपिक
14. गणक-एवं-टंकक
15. वाहन चालक
16. चपडासी
17. दैनिक वेतन भोगी अन्य स्टाफ

10.	प्रत्येक का मासिक पारिश्रमिक	1.आयुक्त ज0जा0वि0	₹ 1,82,200 पे मैट्रिक्स लेवल-15
		2.अतिरिक्त आयुक्त ज0जा0वि0	₹ 1,23,100 पे मैट्रिक्स लेवल-13

		3.उप निदेशक	₹ 15600-39100+GP 6600
		4.परियोजना अधिकारी	₹ 15600-39100+GP 5400
		5.अनुसन्धान अधिकारी	₹10300-34800+ GP 5000 (for initially two year) ₹15600-39100+GP 5400 (after two year)
		6.अधीक्षक ग्रेड- II	₹ 10300-34800+GP 4800
		7.निजी सहायक	₹ 10300-34800+GP 4800
		8.सहायक अनुसन्धान अधिकारी (at HQ and ITDP)	₹ 10300-34800+GP 4200 (for initially two year) ₹ 10300-34800+GP 4600 (after two year)
		10 साख्यिकीय सहायक	₹ 10300-34800+GP 3800 (for initially two year) ₹10300-34800+GP 4400 (after two year)
		11 वरिष्ठ सहायक	₹ 10300-34800+GP 4400
		12 वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	₹ 10300-34800+GP 4400
		13 कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	₹ 10300-20200+GP 3200 (for initially two year) ₹ 10300-20200+GP 3600 (after two year)
		14 लिपिक	₹ 5910-20200+GP 1900 (for initially two year) ₹ 10300-34800+GP 3200 (after two year)
		15 गणक एवं टंकक	₹ 5910-20200+GP 1900
		16 वाहन चालक	₹ 5910-20200+GP 2000 (for initially two year) ₹ 5910-20200+GP 2400 (after two year)
		17 चपडासी/ चौकीदार	₹ 4900-10680+GP 1300 (for initially two year) ₹ 4900-10680+GP 1650 (after two year)
		18 दैनिक भोगी कार्यकर्ता	वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों अनुसार

-
- उपरोक्त वेतनमान के अतिरिक्त सभी देय भते भी दिये जाते हैं ।
11. प्रत्येक अभिकरण को बजट के आबंटन तथा योजना, प्रस्तावित व्यय व अदायगी रिपोर्टों का विवरण। मुख्यालय तथा परियोजना स्तर पर प्रत्येक कार्यालय को बजट का आबंटन मानक-वार किया जाता है तथा व्यय का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है ।
12. उपदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित राशि के कार्यान्वयन का तरीका तथा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण । जनजातीय विकास विभाग उपदान से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सीधे तौर पर कार्यान्वित नहीं करता ।
13. सुविधा परमिट पाने वाले के उदाहरण जिन्हें प्राधिकृत किया गया हो। जनजातीय विकास विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं / परमिट प्रदान नहीं किये गये हैं ।
14. सूचना की उपलब्धता बारे विवरण जिसे इलैक्ट्रॉनिक रूप में घटाकर रखा गया हो । स्कीमवार / विभागवार योजना परिव्यय उपलब्ध है ।
15. सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों की सुविधा बारे विवरण जिसमें जनता के लिए, लाईब्रेरी या आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग का आयुक्त कार्यालय तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही स्कीमों / कार्यक्रमों तथा धनराशि के आबंटन बारे आम जनता द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय हमेशा खुले हैं जिससे

- वाचनालय यदि कोई भी हो शामिल है । आम जनता सूचना प्राप्त कर सकती है । यह कार्यालय सप्ताह में छः दिन (छुट्टी को छोड़कर)सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुले रहते हैं ।
16. जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण। जैसा कि अध्याय 4 में दर्शाया गया है ।
17. ऐसी कोई अन्य सूचना जिसे निर्धारित किया जाना हो, तदोपरान्त प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाना हो । राज्य स्तर तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर की सांख्यिकीय प्रोफाईल

इस नये एक्ट के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशनों के अनुसार उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समय रहते आवश्यक तैयारी बारे पग उठाये जायें व तैयारी बारे पग उठाये जायेंगे ।


वर्ष 2018-19 के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त पत्रों के निपटारे सम्बन्धी ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

PROFORMA FOR FURNISHING OF INFORMATION TO STATE INFORMATION COMMISSION HIMACHAL PRADESH FOR THE ANNUAL REPORT 2018-19 (under Section 25 of the Right to Information Act, 2005) As on March 31, 2019.

Sr. No.	Name of the Public Authority under the Department	No of request received	Decision where request were rejected					Appeal filed before the Appellant Authority		Appeals filed before the State Information Commission			No. of cases where disciplinary action was taken against any office in respect of administration of act.	Amount of charges collected	
			Number of Decision	No. of times various provision were involved				No. of appeals	Outcome of appeals		No. of appeals	Outcome of appeals			
				Sec.8	Sec.9	Sec.11	Sec.24		Appeals accepted	Appeals rejected		Appeals accepted			Appeals rejected
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
State Level Public Authority															
1.	Deputy Director Tribal Dev. Deptt.)	3 Nos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
Integrated Tribal Development Project Level															
1.	Project Officer, ITDP, Bharmaur	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Project Officer, ITDP, Kinnaur at Reckong Peo	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Project Officer, ITDP, Spiti at Kaza	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Project Officer, ITDP, Lahaul at Keylong	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Project Officer, ITDP, Pangti at Killar	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:- Only 3 requests have been received in the Department during the year 2018-19 and all disposed off at the level of P.I.O.

जन जातीय विकास विभाग संगठन चार्ट



Head of Dev.-wise Actual Exp. 2017-18 and Anti. Exp. 2018-19 (Rs. in Lakh)			
Major Head of Dev.	Annual Plan 2017-18	Annual Plan 2018-19	
	Actual Exp.	App. Outlay	Anti. Exp.
1	4	5	6
A.ECONOMIC SERVICES			
1. Agriculture & Allied Activities.			
Crop Husbandry:			
a) Agriculture	534.02	985.00	985.00
b) Horticulture	648.50	1407.00	1407.00
Soil & Water Conservation			
a) Agriculture	334.65	479.00	479.00
b) Forests	28.67	34.00	34.00
Animal Husbandry	639.91	751.00	751.00
Dairy Development	144.00	153.00	153.00
Fisheries	39.48	42.00	42.00
Forests			
i) Forestry	399.70	1471.70	1471.70
ii) Wild Life	9.84	28.00	28.00
Agriculture Research Education:			
a)Agriculture	765.00	810.00	810.00
b)Horticulture	648.00	693.00	693.00
c) Animal Husbandry	23.00	25.00	25.00
d) Forests	45.00	49.00	49.00
e) Fisheries	3.00	3.00	3.00
Marketing and quality control			
a) Horticulture	112.00	123.00	123.00
B) Cooperation	117.75	92.00	92.00
Total Agriculture & Allied Activities	4492.52	7145.00	7145.00
II Rural Development:			
a) Special Programme	313.75	754.00	754.00
b) Community Dev.	313.45	126.00	126.00
c) Land Reforms	31.00	42.00	42.00
d) Panchayats	597.66	563.00	563.00
Total II Rural Dev.	1364.66	1625.00	1625.00

III Special Area Programme			
BORDER AREA DEVELOPMENT PROG.(BADP)			
Border Area Dev. Prog.	4244.44	2778.00	2778.00
IV Irrigation & Flood Control			
Major & Medium Irrigation	0.00	675.00	675.00
Minor Irrigation:			
a) I&PH Deptt.	1578.04	2063.00	2063.00
Command Area Dev.			
Flood Control	108.99	546.00	546.00
Total IV Irrigation & Flood Control	1687.03	3284.00	3284.00
V Energy			
Power			
1. Generation			
a) Equity contribution in HP Power Corp.	2560.00	2560.00	2560.00
b) ADB Share to Power Projects (Loan)	1039.39	4611.00	4611.00
2. Transmission & Distribution			
a) Equity to Transmission & Distribution	689.00	690.00	690.00
b) ADB Share to HPPTCL (Loan)	2800.00	2800.00	2800.00
c)Rajiv Gandhi Gramin Vidyut Yojna/rural electrification/ 13th FC award			
d) Equity to HPSEB Ltd.	625.00	625.00	625.00
f) Integrated Rural Energy Programme	171.30	150.00	150.00
e) Non-con. Sources of energy	20.00	20.00	20.00
Total: Energy	7904.69	11465.00	11465.00
VI Industry & Minerals			
Village & Small Industry	323.97	370.00	370.00
Large & Medium Industry	2.14	3.00	3.00
Mineral dev.	3.97	4.00	4.00
Total-VI-Industry & Minerals	330.08	377.00	377.00
VII. Transport			
Civil Aviation	29.25	17.00	17.00
Roads & Bridges	5906.32	6220.00	6220.00

Maintenance of roads			
Road Transport:			
Road Transport:	571.00	666.00	666.00
Inland Water Transport			
Other Transport Services			
i)Ropeways/Cableways	5.98	22.00	22.00
ii)Telecommunication			
Rail Transport			
Total-VII-Transport	6512.55	6925.00	6925.00
VIII. Communication			
IX. Science, Technology & Environment			
Scientific Research (including S&T council)			
Scientific Research and S&T deptt			
Ecology & Environment			
Information Technology/GIA	0.00	64.00	64.00
IX.Total- Science, Technology & Environment	0.00	64.00	64.00
X- General Economic Service			
Sectt. Eco. Services			
State Planning Machinery			
Excise & taxation			
Tourism	36.17	43.00	43.00
Survey & Statistics			
Civil Supplies	31.19	55.00	55.00
Other Gen. Eco. Services			
Weights and Measures	1.00	1.00	1.00
Other(IF&PE)			
Distt. Planning			
Consumer Forum			
Biotechnology			
Information Technology			
Total: X-General Eco. Service	68.36	99.00	99.00
TOTAL-A-ECONOMIC SERVICES:	22359.89	30984.00	30984.00
B.SOCIAL SERVICES			
XI. Social Services			
1. Education & Allied Sports			
a) General Education			

i) Elementary Education	2300.09	3591.00	3591.00
ii) Secondary Education	2621.42	3148.00	3148.00
iii) University & Higher Education	1510.32	1354.00	1354.00
iv) Technical Education	194.39	245.00	245.00
v) Technical Education (Craftsmen & Training)			
vi) Art & Culture	130.40	156.00	156.00
vii) Sports & Youth Services	236.52	190.00	190.00
viii) Language Development			
ix) Physical Education			
Others:			
i) Mountaineering & Allied Sports	40.16	45.00	45.00
ii) Gazetteers			
iii) Adult Education			
Total-Education & Allied Sports	7033.30	8729.00	8729.00
Health			
a) Allopathy	2482.28	2611.00	2611.00
b) Ayurveda	532.87	540.00	540.00
c) Medical Education & Research	465.83	659.00	659.00
Total 2: Health	3480.98	3810.00	3810.00
i) Water Supply & Sanitation			
a) Urban Water Supply			
b) Rural Water Supply including remodeling	874.92	1039.00	1039.00
Sewerage	114.48	121.00	121.00
c) Rural sanitation			
ii) Housing			
a) Pooled Govt. Housing	162.15	142.00	142.00
b) Housing Department			
c) Rural Housing (State Housing Scheme/RAY)			
d) Police Housing	415.10	477.00	477.00

e)State Forensic Science Lab. Junga			
f) Housing Loans to Govt. employees			
iii) Urban Development:			
a)Town and country planning	97.00	116.00	116.00
b)Environment of Urban Slums			
c)GIA to Urban Local Bodies			
d)Urban Development	252.72	0.00	0.00
Total:3-Water Supply, San. Housing & Urban Development	1916.37	1895.00	1895.00
Information & Publicity	12.07	16.00	16.00
Welfare of SCs/STs/OBCs			
a)Welfare of SCs/STs/OBCs	262.09	316.00	316.00
b)Social Welfare	1229.87	1300.00	1300.00
c) SCs/STs Dev. Corp.	48.00	48.00	48.00
Total:5-Welfare of SCs/STs OBCs	1539.96	1664.00	1664.00
Labour & Labour Welfare	9.88	14.00	14.00
WOMEN & CHILD DEV. INCLUDING NUTRITION			
a)Child Welfare	809.33	2565.00	2565.00
b)Women Welfare	30.65	30.00	30.00
Women dev. corp.			
Other voluntary org.			
c)SNP Including ICDS	740.94	734.00	734.00
Total: Women & Child Dev. incl. nutrition	1580.92	3329.00	3329.00
Total: B- Social Services	15573.48	19457.00	19457.00
C.GENERAL SERVICES:			
XII. General Services			
Stationery & Printing			
Public Works	384.36	300.00	300.00
Others:			
Revenue Deptt.			
a)HIPA			
b) Nucleus Budget	90.00	90.00	90.00
i) People's participation in field Dev. (VMJS)	123.33	100.00	100.00

ii) Vidhayak Kashetra Vikas Nidhi Yojana	294.80	295.00	295.00
c) Tribal Dev. Machinery	890.36	2578.00	2578.00
d) Police Telecommunication			
e) Judiciary	88.34	16.00	16.00
f) Prison Deptt.	0.00	100.00	100.00
g) Fire Services	0.00	1.00	1.00
h) Home Guard Deptt.			
i) Vigilance Deptt.	1.00	1.00	1.00
Total: C- General Services:	1872.19	3481.00	3481.00
TOTAL(A+B+C)	44050.00	56700.00	56700.00